कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/20218/ 612 भोपाल, दिनांक 08/02/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.–870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30 / 01 / 2023

–––0–––

आपके संदर्भ पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 30 / 01 / 2023 से विषयांकित प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन पत्र दिनांक 21 / 07 / 2009 में वर्णित समस्त शर्तो का विशेषकर शर्त संख्या–2 एवं 4 का पूर्ण पालन प्रतिवेदन की जानकारी चाही गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

क्र.		भारत सरकार की शर्त क्रमांक	शर्त का पालन प्रतिवेदन
1		वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा पुनः प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
2	अ	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागाव के खसरा क्रमांक 96 / 1 (पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रू. 1,30,024 / – दिनांक 26.06.2000 को वन विभाग को जमा करवाई गई है।
	ब	इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
	स	इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17.02.2003 में आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

3	उपयोगकर्ता के खर्च पर, भूमि पर क्रम संख्या, बियरिंग, और खम्भे की दूरी सहित, आर.सी.सी. खम्भों (ऊँचाई 4 फिट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा।	माइनिंग लीज एरिये का सीमांकन आर.सी.सी. पिल्लर के माध्यम से काफी पूर्व किया जा चुका है। इस कार्य के संबंध में तत्समय तैयार पंचनामा परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।
4	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर समतलीकरण किया जाएगा। खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा।	वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा सतना के पत्र क्रमांक 8266 दिनांक 31.08.2012 से मौका पंचनामा प्रतिवेदन दिया गया है। मौका पंचनाम प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आवेदक द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण (रिक्लमेशन) कर इस पर 650 पौधे रोपित किये पाए गये हैं। साथ ही लीज बाउण्ड्री लाईन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 900 पौधे जीवित अवस्था में मौके से पाये गये। मौका पंचनामा परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
5	खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।	मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 3–114/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 से खनिपट्टा 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि 01.09.2004 से 31.08.2014 तक थी। परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के शुद्धि पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट किया गया कि खनिपट्टा की अवधि 10 वर्ष अर्थात दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक होगी। अतः खदान दिनांक 18.12.2012 से वन विभाग के अधिपत्य में हैं।
6	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–6 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
7	प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–7 पर संलग्न है। इस तथ्य की पुष्टि गूगल इमेज से भी की जा सकती है।
8	राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–8 पर संलग्न है।

भारत सरकार के उपरोक्त 8 शर्तों के अतिरिक्त म0प्र0 शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1948/1693/09/10–3 दिनांक 10.08.2009 में निम्न शर्तें अधिरोपित है :–		
1	स्वीकृत खदान के आस–पास के 2 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आस–पास के 2 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जायेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–9 पर संलग्न है।
2	आवेदक संस्था से यह लिखित वचन पत्र लिया जावे कि भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो व उन्हें मान्य होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र परिशिष्ट–9 पर संलग्न है।

अतः आवेदक श्री शरद बंसल द्वारा पूर्व में दिये गये वचन पत्र एवं दिनांक 07/02/2023 को दिये गये वचन पत्र की प्रतियां तथा आवश्यक अभिलेखों संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

8/2/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33660/20218/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रींवा वृत्त, रींवा, मध्यप्रदेश
2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश
3 श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

8/2/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट-1

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 में अधिरोपित शर्त संख्या–1

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। इस शर्त को मानने हेतु मैं वचन देता हूँ।

(शरद कुमार बंसल)
पोस्ट जैतवारा,
जिला–सतना, म0प्र0

परिशिष्ट-2

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-03-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे अनुसूची में उल्लिखित की गई वन भूमि, पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि, व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जावेंगे.

अनुसूची

जिला—सतना **तहसील—रघुराजनगर** **वन मण्डल—सतना** वन परिक्षेत्र—**मझगवां**

अनु. क्र. (1)	वन खण्ड का नाम (2)	वन या बंजर भूमि का नाम (3)	खसरा क्रमांक (4)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)	सीमाएं (6)
1	नयागांव "स"	राजस्व पड़त भूमि	96/1	8.000	उत्तर—ग्राम नयागांव ख. नं. 95 कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 1 स से 2स. पूर्व—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 2स से 3स. दक्षिण—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 3स से 4स. पश्चिम—ग्राम नयागांव नाला का ख.नं. 97 के सीमा पर कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 4स से 1स.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी. 594-90-2003-दस-3 दिनांक 17 फरवरी 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th February 2003

No. D 594-90-03-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the Provisions of Chapter V of the said Act Applicable to the Forest Land/Waste Land specified in the Schedule below subject to the conditions, that the existing rights of Individuals of communities shall not be abridged or effected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District-Satna **Tahsil—Raghuraj Nagar** **Forest Division—Satna** **ForestRange—Majhgawan (M.P.)**

S.No. (1)	Name of Block (2)	Name of Forest or Waste Land (3)	Khasra No. (4)	Area (in Hects.) (5)	Limits (6)
1.	Nayagawn "C"	Revenue Waste land	96/1	8.000	**North**—Village-Nayagawn Kh. No. 95 & artificial cut line from New Piller No. 1C to 2C. **East**—Village-Nayagawn Kh. No.96/1 part artificial cut line from New Piller No.2C to 3C. **South**—Village-Nayagawn Kh. No. 96/1 Part. artificial cut line from New Piller No.3C to 4C. **West**—Village-Nayagawn Nala Kh. No. 97 artificial cut line from New Piller No.4C to 1C.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Addl. Secy

-174-4

परिशिष्ट-3

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र मझगवॉ
क्रमांक 1009 दिनांक 24-9-09
प्रति

वनसंरक्षक
वनमण्डल सतना

बिषय— सतना जिले में लेटराइट व्हाइट क्ले व ओकर के उत्खनन हेतु (8.00हैक्ट0 वनभूमि में से) संशोधित रकबा 4.600 हैक्ट0 वनभूमि उपयोग पर देनें एवं 3.400 हैक्ट0वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार वंशल का प्रस्ताव ।

सन्दर्भ— आपका पत्र क्रमांक/ मा0चि0/ 7946 दिनांक 15.09.2009 ।

——00——

विषयानुसार सन्दर्भित पत्र के पालन में लेख है कि भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा अभिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक श्री शरदकुमार वंशल ग्राम पोष्ट जैतवारा से वचनपत्र सहित प्राप्त कर संलग्न प्रेषित है । साथ ही उक्त वनभूमि 8.000 हैक्टयर मे से स्वीकृति रकवा 4.600हैक्ट0 वनभूमि उपयोग पर देनें एवं 3.600 हैक्ट0 वनभूमि समर्पण वावत पृथक करनें वावत मौके पर जाकर दिनांक 19.09.2009 को सीमांकित किया गया तथा ए से लेकर 5 तक चार फीट ऊॅचे आर0सी0सी0 पिलर बनवाये गये जिसका मौके पर पंचनामा तैयार किया गया जो संलग्न अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्न—1—मौका पंचनामा एक नग तथा नक्शा दो नग

2—श्री शरद कुमार वंशल का पालन प्रतिवेदन व वचन पत्र सहित

(हस्ताक्षर)
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्रमझगवॉ

मौका पंचनामा

आज दिनांक 19.09.09 को ~~वनपरिक्षेत्राधिकारी~~ मछगवाँ बीटगार्ड पिपरीटोला एवं अन्य वन स्टाफ के साथ ~~[illegible]~~ जैतवारा पटेदार एवं अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति मे ग्राम पिपरीटोला रकबा 4.6 हेक्टेयर (निकासी मार्ग सहित) का सीमांकन कार्य किया गया। मौके पर A से लेकर 5 तक चार फुट ऊंचे आर.सी.सी. पिलर बनाये गये जिसमे पिलर से पिलर की दूरी पिलर नम्बर एवं डिग्री अंकित की गई, मौके पर पंचनामा लिखा गया पढ़कर एवं सुनकर हस्ताक्षर किये गये।

पंचनामा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी बीटगार्ड पिपरीटोला द्वारा लिखा गया।

पिलर नम्बर	लाइन	दूरी मीटर	बियरिंग
A	—	—	—
B	AB	16 मी.	Due east.
C.	BC	32m.	Due North.
1	C-1	40m.	Due North.
2	1-2	312m.	North 70° East
3	2-3	119m.	Due North.
4	3-4	270m.	S 80° West.
5	4-5	48m.	N. 51° West
A	5-A	295M.	Due south.

मौका पंचनामा एवं फील्डबुक के अनुसार नक्शा संलग्न है।

[illegible signatures]

R.O. [illegible]
19/9/09

बीटगार्ड [illegible]
19.09.09

परिशिष्ट-4

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र मझगवॉ

क्रमांक 666 मझगवॉ/दिनांक 16-8-012

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सतना

बिषय–ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्रमांक 203 पुराना नया पी.870 में स्वीकृति खनि पट्टा के नवकरण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ–आपका पत्र क्रमांक/मा.चि. 5393 दिनांक 09.06.2012 ।

बिषयानुसार सन्दर्भ के पालन में वांछित प्रतिवेदन निम्नानुसार है ----

1–प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे निरीक्षण के दौरान तैयार किये गये मौका पंचनामा में जी0पी0एस0 लोकेशन पिलरवार उल्लेख किया गया है जो संलग्न है ।

2–स्वीकृति क्षेत्र में से उत्खनित किये गये क्षेत्रों का जी0पी0एस0 लोकेशन उत्खनित क्षेत्रवार अलग–अलग दिनांक 11.08.2012 को मौका निरीक्षण के दौरान तैयार किये गये मौका पंचनामा में उल्लेख किया गया है जो संलग्न है ।

3–लीजधारक मे0 शरद कुमार वंशल द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण कर बॉस एवं सागौन प्रजाति के लगभग 650 पौधे रोपित किये गये पाये गये एवं पूर्व के रोड साइड एवं वाउण्ड्री लाइन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 900 पौधे जीवित अवस्था में मौके से पाये गये जिसका निरीक्षण के दौरान मौके पर पंचनामा तैयार कर उल्लेख किया गया जो संलग्न है ।

4– वनभूमि के बदले प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2004 में किया गया है जिसमे मिश्रित प्रजाति के 2000 पौधों का रोपण किया गया है वर्तमान में 563 पौधे जीवित है ।

अस्तु सन्दर्भित पत्र के पालन में वांछित प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार मौका पंचनामा एक

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मझगवॉ

हम नीचे लिखे पंचगण इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 11-8-12 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी मझगवां, बीटगार्ड पिपरीटोला, अन्य क्षेत्री स्टाफ एवं आवेदक श्री शरद कुमार बंसल (जैतवारा) के हमराह बीट-पिपरीटोला के वनक्षेत्र कक्ष क्र० P. 870 में मे० शरद कुमार बंसल को स्वीकृति खनि पट्टा रकबा- 4.6 हे० का स्थल निरीक्षण किया गया। मौके निरीक्षण के दौरान नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा में पक्के आर सी०सी० पिलर गड़े हुए पाये गये। जिसका जी०पी० एस० लोकेशन लिया गया जो निम्नानुसार है -

पिलर क्र०	जी० पी० एस० लोकेसन	
A	N· 24° 50' 40.4"	E· 080° 55' 06.3"
B	N· 24° 50' 40.4"	E· 080° 55' 06.9"
1	N· 24° 50' 42.7"	E· 080° 55' 06.7"
2	N· 24° 50' 46.4"	E· 080° 55' 15.9"
3	N· 24° 50' 50.5"	E· 080° 55' 16.7"
4	N· 24° 50' 48.9"	E· 080° 55' 08.7"
5	N· 24° 50' 50.0"	E· 080° 55' 06.0"

एवं स्वीकृति क्षेत्र में से उत्खनित किये हुए क्षेत्र का क्षेत्रवार अलग अलग GPS. लोकेसन लिया गया जो निम्नानुसार है -

गड्ढा क्र० 1 -

N· 24° 50' 46.01" E - 080° 55' 06.1"
N· 24° 50' 48.3" E· 080° 55' 06.3"
N· 24° 50' 47.7" E· 080° 55' 07.1"
N· 24° 50' 46.6" E· 080° 55' 07.4"

गड्ढा क्र० 2 - N· 24° 50' 45.5" E - 080° 55' 13.2"
N· 24° 50' 47.6" E· 080° 55' 14.0"
N· 24° 50' 48.5" E· 080° 55' 12.0"
N· 24° 50' 47.9" E - 080° 55' 10.5"

आवेदक द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण (रिक्लेमेसन) कर बांस एवं सागौन प्रजाति के लगभग 650 पौधे रोपित किये पाए गये एवं पूर्व के रोड साइड एवं बाउन्ड्री लाइन पर विभिन्न प्रजाति के लगभग 90 पौधे जीवित अवस्था में मौके से पाये गये। उक्त स्थल निरीक्षण कर मौके से मौका पंचनामा तैयार किया गया जो सही एवं सत्य है जिसे पढ़कर व सही पाये जाने पर सन्तुष्ट होकर हस्ताक्षर किये।

Sharad Bansal

पंचनामा मेरे समक्ष रिकार्ड किया गया
R.O. Majhgawan

मौका पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया।
बीटगार्ड पिपरीटोला

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सतना (म0प्र0)

क्रमांक/मा.चि./ सतना, दिनांक/ / /2012

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
रीवा वृत्त रीवा

विषयः—ग्राम पिपरीटोला के कक्ष क्रमांक 203 पुराना (नया पी—870) में स्वीकृत खनि पट्टा के नवकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः—1.आपका पत्र क्रमांक/मा0चि0/4477 दिनांक 11.06.2012

2.वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां का पत्र क्रमांक/666 दिनांक 16.08.2012

3.श्री शरद कुमार बंसल का आवेदन दिनांक 30.06.2012

———000———

आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में चार विन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./5393 दिनांक 19.06.2012 से वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां को भेजकर प्रतिवेदन चाहा गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां द्वारा अपने पत्र क्रमाक/666 दिनांक 16.08.2012 से जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार चाहे गये विन्दुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

क0	**आपके द्वारा चाही गई जानकारी के विन्दु**	**प्रस्तुत प्रतिवेदन**
1	नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का जी0पी0एस0 लोकेशन	प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगवां द्वारा किया जाकर मौका पंचनामा में जी0पी0एस0 लोकेशन का उल्लेख पिलरवार किया गया है जो परिशिष्ट एक पर संलग्न है।
2	स्वीकृत क्षेत्र में से उत्खनित किये गये क्षेत्रों का जी0पी0एस0 लोकेशन उत्खनित क्षेत्रवार अलग—अलग।	स्वीकृत क्षेत्र में से उत्खनित किये गये क्षेत्रों का जी0पी0एस0 लोकेशन उत्खनित क्षेत्रवार अलग—अलग दिनांक 11.08.2012 को मौका निरीक्षण के दौरान तैयार किये गये मौका पंचनामा में दर्शाया गया है जो परिशिष्ट एक पर संलग्न है।
3	भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र के समतलीकरण की स्थिति।	लीजधारक मेसर्स शरद कुमार बंसल द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्त अनुसार उत्खनित क्षेत्र का समतलीकरण कर बांस एवं सागौन प्रजाति के लगभग 650 पौधे रोपित पाये गये एवं पूर्व के रोड साइड एवं बाउंड्री लाइन पर विभिन्न प्रजाति के

		लगभग 900 पौधे जीवित अवस्था में मौके से पाये गये जिसका निरीक्षण के दौरान मौके पर तैयार पंचनामा में उल्लेख किया गया है जो परिशिष्ट एक पर संलग्न है।
4	वनभूमि के बदले प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है या नहीं। यदि किया गया है तो कितने पौधे रोपित किये गये है, उक्त रोपित पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं।	वनभूमि के बदले प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2004 में किया गया है जिसमें मिश्रित प्रजाति के 2000 पौधों का रोपण किया गया है वर्तमान में 563 पौधे जीवित है।

इस कार्यालय के पृष्ठां0 कमाक/मा0चि0/5394 दिनांक 19.06.2012 से मेसर्स शरद कुमार बंसल को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृत में लीज अवधि 10 वर्ष होगी का उल्लेख किया गया है, किन्तु पुनः नवीनीकरण किया जाने का उल्लेख नहीं है। यदि आपको उक्त वनभूमि की लेटेराईट, व्हाईटक्ले व ओंकर के उत्खनन हेतु आवश्यकता हो तो नये शिरे से नवीन प्रस्ताव वन संरक्षरण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में मेसर्स शरद कुमार बंसल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बनाए गये नियम व मार्गदर्शी सिद्धांत (संशोधित, 2004) के चैप्टर 5 में Conditions Stipulated in Forestry clearances में लगाई जाने वाली शर्तें (5.1 एवं 5.2) में नवकरण की शर्त लगाने बावत कहीं भी उल्लेख नहीं होने का लेख कर छायाप्रति संलग्न की गई।

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन तथा संबंधित छायाप्रतियां संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन कमांक/मा0चि0/ 8266 सतना, दिनांक/31/8/2012
प्रतिलिपिः–

मेसर्स शरद कुमार बंसल मुकाम पोस्ट जैतवारा की ओर उनके संदर्भित आवेदन के तारतम्य में सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\Shivkishor\office\D.M\mEMO.doc

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक

क्रमांक 3-144/95/12/2: यह कि आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा जिला सतना के ग्राम पिपरीटोला के 16.840 हेक्टर्स क्षेत्र पर ओकर, व्हाईट क्ले एवं लेटराइट खनिजों का खनिपट्टा स्वीकृत करने के लिए दिनांक 28.12.1994 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. यह कि ग्राम पीपरीटोला का आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 11{पी} 12/1क{पी} क्रमशः रकबा 39.70 एकड़ एवं 1.90एकड़ कुल 41.60 एकड़ राज्य शासन वन विभाग की भूमि है । मुख्य वन संरक्षक भू सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम भोपाल ने ज्ञापन दिनांक 21.11.94 से आवेदक के पक्ष में अनुमति प्रदान की जिसके आधार पर आवेदक श्री शरद कुमार बंसल को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 2-283/93/12/2/3 दिनांक 30.9.93 से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई । आवेदक द्वारा क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य किया जाकर यह खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3. यह कि क्षेत्र वन भूमि है अतः विभागीय ज्ञापन दिनांक 26.9.95 से आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त कर प्रस्तुत करने लिखा गया ।

4. यह कि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन एफ 5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.03 से यह अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा प्रकरण में पत्र दिनांक 19.12.2002 से औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी गई है । अतः भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसार राज्य शासन द्वारा सतना जिले में लेटराइट, व्हाईट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु आवेदित क्षेत्र में से 8.00 हेक्टर वन भूमि श्री शरद कुमार बंसल को वनेत्तर उपयोग हेतु वन{संरक्षण} अधिनियम 1980 की धारा -2 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

{1} वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

{2} वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नंबर-96/1{पार्ट} में 8.00हे० गैर वन भूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जावेगा ।

{3} उक्त भूमि आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जा चुकी है ।

Bansal

§4§ उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या, बियरिंग और खम्बे से खम्बे की दूरी सहित, आर.सी.सी. खम्बो§ऊँचाई 4 फीट§ का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा।

§5§ वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खनिज क्षेत्र का समतलीकरण किया जायेगा। खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा।

§6§ खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी।

§7§ वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।

§8§ प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

§9§ उपयोगकर्ता से समतलीकरण हेतु राशि रू. 10,000/- प्रति हे0 की दर से अग्रिम के रूप में जमा कराया जाये तथा भविष्य में परिगणित होने वाली अन्तर की राशि जमा करने हेतु वचनपत्र प्राप्त किया जाये।

§10§ प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोगकर्ता से निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा कराई जाये।

§11§ स्वीकृत खदान के आसपास के 2.00 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आसपास के 2.00 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।

§12§ उपयोगकर्ता से यह वचनपत्र लिया जाये कि उपरोक्त शर्तों के अलावा भी यदि भविष्य में मुख्य वन संरक्षक§केन्द्रीय§ भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा वनीकरण/वन संरक्षण के हितों को ध्यान में रखकर कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है तो वह उन्हें मान्य होगी।

6. यह कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ज्ञाप क्रमांक 8ती/5/435/97-एफसी /78 दिनांक 7.1.2000 से सैद्धान्तिक रूप से आवेदक के प्रकरण में 16.868 हेक्टर वन भूमि को माइनिंग प्लान अनुसार माईनिंग के लिए डायवर्सन की सहमति दर्शाई है।

7. अतः वन विभाग द्वारा उल्लेखित उपरोक्त शर्तों एवं निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों पर आवेदक के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :-

§1§	आवेदक का नाम एवं पता	श्री शरदकुमार बंसल, ग्राम जैतवारा जिला-सतना म.प्र.
§2§	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	जिला-सतना, ग्राम-पिपरीटोला में वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान 8.000हेक्टेयर क्षेत्र
§3§	खनिज का नाम	ओकर्स, व्हाईट क्ले एवं लेटराइट
§4§	स्वीकृति की अवधि	10§दस§ वर्ष

§5§ थियोडोलाईट सर्वे आदि आवश्यक हो तो किया जावे

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हों तो नियमानुसार जमानत आदि राशि जमा कराई जाकर 6 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन कराया जाकर प्रति विभाग को भेजी जावे।

अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदक पर खनि राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

§डॉ. विक्रम जे. एस. लाम्बा§
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ.क्र. एफ 3-144/95/12/2 भोपाल, दिनांक 18/6/03

प्रतिलिपि-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग की ओर उनके ज्ञा.क्र. एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.03 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2- डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी धनबाद
3- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल
4- कन्ट्रोलर जनरल इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर
5- क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर
6- श्री शरदकुमार बंसल जैतवारा जिला सतना म.प्र.
7- कलेक्टर सतना §म.प्र.§

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

18/6/03
अवर सचिव
म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग

प्रपत्र-7

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0-3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

शुद्धि पत्र दि0-06-01-2010,

कमांक: 8C/5/435/1997-FCW/ 47,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत् ।

संदर्भ:
1) इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/435/1997-एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002
2) अपर प्रधान मु0व0सं0 एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ-1/152/94/10-11/2759 दिनांक 24/12/2008
3) इस कार्यालय का संशोधित औपचारिक अनुमोदन पत्र कमांक 8सी/435/1997-एफसीडब्ल्यू/1805 दिनांक 21/7/2009

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक (1) जिसके माध्यम से प्रकरण में 8.00 हे0 का औपचारिक अनुमोदन दिनांक 19/12/2002 को प्रदान किया गया था । नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से प्रकरण में 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर दिये जाने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समपर्ण की अनुशंसा उपरांत कार्यालय के संदर्भित पत्र (3) के माध्यम से पुनः संशोधित औपचारिक अनुमोदन जारी किया गया ।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (3) द्वारा जारी औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या-5 में "खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी" के स्थान पर **"खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) होगी ।"** पढ़ा जाए ।

अन्य शर्ते इस कार्यालय के उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन पत्र (3) के अनुसार यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि0, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम-जैतवारा, जिला-सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

परिशिष्ट – 06

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 में अधिरोपित शर्त संख्या–6

वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा। यह शर्त मानने हेतु मैं वचन देता हूँ।

(शरद कुमार बंसल)
पोस्ट जैतवारा,
जिला–सतना, म0प्र0

परिशिष्ट–7

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 में अधिरोपित शर्त संख्या–7

प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यह शर्त मानने हेतु मैं वचन देता हूँ।

(शरद कुमार बंसल)
पोस्ट जैतवारा,
जिला–सतना, म0प्र0

परिशिष्ट-8

वचन पत्र

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 8C/5/435/1997-FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 में अधिरोपित शर्त संख्या–8

राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।

यह शर्त मानने हेतु मैं वचन देता हूँ।

(शरद कुमार बंसल)
पोस्ट जैतवारा,
जिला–सतना, म0प्र0

परिशिष्ट-9

वचन पत्र

भारत सरकार के उपरोक्त 8 शर्तों के अतिरिक्त म0प्र0 शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1948/1693/09/10–3 दिनांक 10.08.2009 में अधिरोपित शर्तः–

आवेदक संस्था से यह लिखित वचन पत्र लिया जावे कि भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो व उन्हें मान्य होगी।

स्वीकृत खदान के आस–पास के 2 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आस–पास के 2 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जायेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।

शर्त मानने हेतु मैं वचन देता हूँ।

(शरद कुमार बंसल)
पोस्ट जैतवारा,
जिला–सतना, म0प्र0

वचन पत्र

भारत सरकार वन विभाग के आदेश क्रमांक – 8 सी/5/435/1977 एफ सी डब्ल्यू/2971 दिनांक 19.12.2002 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ – 5/18/97/10/3 दिनांक 05.03.2003 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल को ग्राम पिपरी टोला के कक्ष क्रमांक 203 पी. रकवा 8.000 हेक्टर वन भूमि (7.972 हेक्टर खनिज उत्खनन हेतु एवं 0.028 हे. निकासी मार्ग हेतु) पर ओकर व्हाइट क्ले एवं लेटराइट खनिज के खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा 3.40 हे. वन भूमि समर्पण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार वन मंत्रालय के पत्र, क्रमांक – 8 C /5/435/1997 – FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक – 1948/1693/09/10 – 3/ दिनांक 10.08.2009 द्वारा समर्पण स्वीकार कर (8.00 हे. मे से 3.40 हे.), शेष 4.60 हे. वन भूमि 10 वर्ष के लिए उपयोग पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 10.08.2009 मे निर्धारित शर्त की कंडिका 1 के अनुसार वन भूमि का वैधानिक स्वरुप परिवर्तित नही किया जाएगा। कंडिका 8 के अनुसार वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जाएगा। कंडिका 9 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा। कंडिका 10 के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि अतिरिक्त अन्य कोई शर्तें लगाई जाती है तो आवेदक उसे मानने को वचन बद्ध है। कंडिका 11 के अनुसार स्वीकृत खदान के आसपास 2 कि.मी. की परिधि मे अवैध उत्खनन नही होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। 2 कि.मी. की परिधि मे अवैध उत्खनन होता है तो इसकी लिखित सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिअधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी को दी जाएगी।

20 SEP 2009

आवेदक

Sharad Kumar Bansal
P. O. JAITWARA,
Dt. Satna (M.P.) Pin 485221